न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 06/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. स्व. श्री रामाराम पुत्र श्री भीमाजी के कायम मुकाम– 1.1 श्री थानाराम पुत्र स्व. श्री रामाराम जाति मेघवाल निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 1.2 श्री पुरूषोत्तम पुत्र श्री रामारामजी जाति मेघवाल निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा। 2. श्री शंकरलाल पुत्र श्री मनराजी जाति मेघवाल निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थी के कायम मुकाम की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1980 वर्गफीट 1250 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिये वकालतनामा के उपस्थित हो एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के कायम मुकाम की ओर से लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1980 वर्गफीट 1250 जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम नितौडा का निवासी है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति का सदस्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थी को अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के अन्तर्गत दिनांक 18.06.1985 को पट्टा संख्या 201/85–86 जारी किया गया। यह है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा पूर्ण जांच कर उक्त भूखण्ड पर अन्य किसी का कब्जा नहीं होने पर प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया, जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के हस्ताक्षर होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या एक ने कब्जा प्रार्थी को सुर्पूद कर दिया। यह है कि कब्जा प्राप्ति के उपरान्त प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर केलुपोश झोंपडा बनाकर निवास प्रारम्भ किया एवं इसके जर्जर अवस्था में होने से दिनांक 18.02.2013 को प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत नितौडा में आवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मौखिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त प्रार्थी ने नींव खुदवाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया एवं वर्तमान में प्रार्थी के भूखण्ड पर एक तरफ पूरी नींव भरी हुई है एवं तीन पिलर खडे किए हुए है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम नितौडा में निवास नहीं कर सरूपगंज में निवास करता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने दिनांक 02.12.1980 को पंचायत से विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जिसमें 01/–रूपए शुल्क जमा करना बताया है जिसका कोई रसीद नम्बर अंकित नहीं है जो प्रथम दृष्टतया कूटरचित प्रतीत होता है। यह है कि उक्त पट्टा कार्यवाही में जो तीन सदस्य मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया उसमें एक सदस्य अप्रार्थी संख्या दो का पिता मनराराम था, जो नियमानुसार उक्त कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त पट्टा बनाते समय जो भी कार्यवाही की यथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, नजरी नक्शा बनाना, निरीक्षण करना, सूचना/आपत्ति जारी करना इत्यादि में कहीं भी तारीख का अंकन नहीं है, जिससे यह समस्त कार्यवाही अवैधानिक प्रतीत होती है। यह है कि उक्त पट्टा को जारी करने में तत्कालीन पंचायत द्वारा निर्धारित नियमों की पालना नहीं की है। यह है कि दिनांक 21.01.1981 की आदेशिका में एक माह की आपत्ति नोटिस जारी किया गया परन्तु पंचायत द्वारा एक माह के समय की प्रतिक्षा न कर अवधि समाप्त होने से पूर्व ही दिनांक 05.02.1981 को पत्रावली पेश कर दी, जो अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित पट्टा संख्या पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 वर्गफीट 1250 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 को जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। अप्रार्थी संख्या दो का मौके पर कब्जा काश्त है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो कुलपोश मकान बनाकर निवासरत था परन्तु मकान जर्जर अवस्था में होने के कारण इसके पुनः निर्माण हेतु वर्ष 2013 में ग्राम पंचायत नितौडा में निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया एवं निर्माण कार्य चालू किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो को बताया कि उसको भी इसी भूमि का पट्टा दिया हुआ है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सतर्कता समिति में जांच हेतु शिकायत की जो उक्त समिति में प्रकरण संख्या 12/2013 दर्ज हुआ एवं दिनांक 17.05.2013 को उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के अध्यक्षता में उक्त सतर्कता समिति ने प्रार्थी का पट्टा निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय में निगरानी पेश करने हेतु हिदायत दी गई। यह है कि इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या दो ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की जिसको प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है। यह है कि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर न तो कभी कब्जा रहा है एवं न ही कोई केलुपोश मकान बना हुआ है एवं न ही प्रार्थी ने नवीन निर्माण कार्य हेतु नीवं खुदवाई है, बल्कि उक्त नींव अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा खुदवाई गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त पट्टा 1/– शुल्क में नहीं देकर रूपए 125/– में जरिए रसीद संख्या 31 दिनांक 06.05.1981 द्वारा जारी किया गया है। यह है कि उक्त भूखण्ड पर दिनांक 21.01.2020 को श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, श्री जयसिंह पुत्र श्री धनसिंह, श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह, श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धनसिंह एवं बलवन्तसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह ने प्रार्थी के निर्देशों पर कब्जा करने हेतु मौके पर अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा बनाई गई नींव को तोड कर मौके पर पडे हुए 3–4 ट्रोली पत्थरों को जे.सी.बी. से ट्रेक्टर में भर कर ले जाने की कोशिश की जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया एवं अनुसंधान में अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा होना पाया गया एवं उपरोक्त मामले में दोषियों को धारा 352 भा.द.स. में आरोप साबित मानकर सजा दी गई। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा विवादित पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 अप्रार्थी संख्या दो को गलत रूप से जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा मिसल संख्या 153 दिनांक 02.12.1980 को दायर कर तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण कर रूपए 125/– शुल्क लेकर जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का 40 वर्षो से पूर्व का कब्जा होने के संबंध में श्री चेला पुत्र श्री मालाजी एवं श्री गमना पुत्र श्री वगताजी निवासी नितौडा ने ग्राम पंचायत नितौडा में दिए गए अपने–अपने बयानों में पुष्टि की है एवं उक्त दोनों के बयान सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा के समक्ष लिए गए है, जो पत्रावली के साथ संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या को पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है एवं इसके उपरान्त इसी भूखण्ड का पट्टा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा प्रार्थी को पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 जारी किया गया है, जिसे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया है। यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा वर्ष 2013 में निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत नितौडा से निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया, तो उक्त दोनों पट्टे एक ही भू–खण्ड के होने से एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो, दोनों के द्वारा निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर विवादास्पद स्थिति होने से ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो में से किसी भी को भी निर्माण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या दो सतर्कता समिति में जांच हेतु दिया, जो प्रकरण संख्या [illegible]/2013 दर्ज हुआ तब कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा में तत्कालीन [illegible] अधिकारी पिण्डवाडा की अध्यक्षता में उक्त सतर्कता समिति की बैठक दिनांक [illegible] को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो को दोहरा पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी दूसरे पट्टे को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में निगरानी पेश करें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादास्पद भूखण्ड के संबंध में अप्रार्थी संख्या दो न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आदेश वाद पत्र के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आदेश 7 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी को पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के अन्तर्गत निःशुल्क जारी किया गया है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 की किसी भी प्रकार की कोई मिसल संधारित की गई हो एवं न ही इस संबंध में ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विशिष्ठ न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) सिरोही में अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूखण्ड पर दिनांक 21.01.2017 को श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, श्री जयसिंह पुत्र श्री धनसिंह, श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह, श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धनसिंह एवं बलवन्तसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह ने कब्जा करने हेतु मौके पर अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा बनाई गई नींव को तोड कर मौके पर पडे हुए 3–4 ट्रोली पत्थरों को जे.सी.बी. से ट्रेक्टर में भर कर ले जाने की कोशिश की, उक्त संबंध में एक वाद संख्या 61/2017 प्रस्तुत किया जिसमें यह उक्त न्यायालय ने पुलिस थाना सरूपगंज की अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर उक्त आरोप को सही मानते हुए उक्त व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया, जिससे उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा होना प्रतीत होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 06.05.1981 को पट्टा संख्या 52 राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया था जिसकी मिसल संख्या 153 दायर दिनांक 02.12.1980 ग्राम पंचायत नितौडा के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी को वर्ष 1981 में जारी होने के बाद ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 जारी किया है, जिसकी मिसल संधारण एवं अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही के संबंध में न तो ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा किसी भी प्रकार का कथन किया गया है और न ही पत्रावली पर किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 को यथावत कायम रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner